**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

निर्णय की तिथि: 08.08.2024

आप.वि.वा. 488/2024, आप.वि.आ. 1941/2024

प्रभु दयाल एवं अन्य ..... याचीगण

द्वारा: श्री हार्दिक शर्मा, अधिवक्ता, याचीगण के साथ व्यक्तिगत रूप से।

बनाम

राज्य एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री मंजीत आर्य, राज्य के लिए अति.लो.अभि., सह एसआई ब्रह्म प्रकाश, पुलिस थाना: सुल्तानपुरी
श्री कुलदीप कुमार, अधिवक्ता, प्र-2 के लिए प्र-2 के साथ व्यक्तिगत रूप से।

**कोरम:**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता**

**निर्णय**

**न्या. श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता (मौखिक)**

**1.** याचीगण की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('सीआरपीसी') की धारा 482 के तहत याचिका दायर की गई है, जिसमें पुलिस थाना: सुल्तानपुरी में

दर्ज आईपीसी की धारा 323/354/354ख/506/34 के तहत प्राथमिकी संख्या 0346/2019 और उससे होने वाली कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है। इसके बाद धारा 341/354क/509 आईपीसी लागू की गईं।

**2.** संक्षेप में, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, वर्तमान प्राथमिकी प्रत्यर्थी सं. 2 की शिकायत पर 02.04.2019 को पंजीकृत की गई थी, जिसने आरोप लगाया कि 29.03.2019 को, जब वह अपने भाई अक्षय कुमार और उनके माता-पिता के साथ अपने भाई अक्षय कुमार और भाभी कमलेश (याचीगण की बहन) के बीच वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए जलेबी चौक के पास काली माता मंदिर के पीछे पार्क में आई थी, तो कमलेश के परिवार के सदस्यों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, उन पर याचीगण ने भी हमला किया गया, जो उनकी भाभी (कमलेश) के भाई हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आगे आरोप लगाया कि पार्क में मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप किया और याचीगण को भागने में मदद की।

**3.** याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह घटना अक्षय कुमार (प्रत्यर्थी संख्या 2 का भाई) और कमलेश (याचीगण की बहन) के बीच वैवाहिक विवाद का परिणाम है, जिसे अब सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।

**4.** राज्य की विद्वान अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारगण के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता के मद्देनजर, यदि संबंधित प्राथमिकी को अभिखंडित कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

**5.** वर्तमान मामले में याचीगण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं। इसका उपयोग न्याय प्राप्त करने या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। किन मामलों में, आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्राथमिकी को रद्द करने की शक्ति का उपयोग तब किया जा सकता है, जब अपराधी के साथ-साथ पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया हो, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई सामान्यीकृत सूची या श्रेणियां निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। हालाँकि, न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना होगा।

**6.** यह भी टिप्पणी की जा सकती है कि मानसिक विकृति से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराध समझौते के बावजूद उचित रूप से अभिखंडित नहीं किए जा सकते। तथापि, जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, अधिक गंभीर अपराधों के प्रतिकूल, ऐसे अपराध जिनमें सिविल विवाद का प्रमुख तत्व होता है या ऐसे अपराध जिनमें छोटी-मोटी घटनाएं शामिल होती हैं, जहां शिकायतकर्ता/पीड़ित को नुकसान की प्रतिपूर्ति भी मिलती है, यदि कोई हो,

का अपना अलग स्थान है। उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करने से भी नहीं रोका गया है कि क्या ऐसे अपराध को शामिल करने के लिए सामग्री मौजूद है या क्या पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जो साबित होने पर आरोप लगाए गए अपराध को साबित करने में मदद करेंगे। यह भी आकलन किया जा सकता है कि, यदि पक्षकारगण के बीच समझौते के मद्देनजर, ऐसे मामले में दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और क्या कार्यवाही जारी रखने से अभियुक्त का गंभीर उत्पीड़न होगा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

**7.** याचीगण और प्रत्यर्थी संख्या 2 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और उनकी पहचान एसआई ब्रह्म प्रकाश, पुलिस थाना: सुल्तानपुरी ने की है। मैंने पक्षकारगण से बातचीत की है और उन्होंने पुष्टि की है कि उनके बीच मामला बिना किसी धमकी, दबाव या ज़बरदस्ती के सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 तथा उसके भाई ने प्रस्तुत किया कि चूंकि पक्षकारगण के बीच सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, इसलिए उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है तथा यदि संबंधित प्राथमिकी को अभिखंडित कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

**8.** याचीगण और प्रत्यर्थी संख्या 2, अक्षय कुमार (प्रत्यर्थी संख्या 2 के भाई) और कमलेश (याचीगण की बहन) के बीच वैवाहिक मतभेदों से उत्पन्न कार्यवाही से छुटकारा पाना चाहते हैं। यह समझौता पक्षकारगण के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देगा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देगा।

इसके अलावा, पक्षकारगण के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के मद्देनजर दोषसिद्धि की संभावना भी कम है। इसके अलावा, याचीगण की किसी भी पिछली संलिप्तता को इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

**9.** तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, चूंकि मामला पक्षकारगण के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, इसलिए मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ और नहीं होगा। परिणामस्वरूप, पुलिस थाना: सुल्तानपुरी में धारा 323/341/354/354क/354ख/506/509/34 आईपीसी के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 0346/2019 को और उसके आधार पर हुई कार्यवाही को अभिखंडित किया जाता है।

**10.** तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचीगण पर जुर्माना लगाने के बजाय, उन्हें सुल्तानपुरी क्षेत्र में जांच अधिकारी/थानाध्यक्ष, पुलिस थाना: सुल्तानपुरी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी (यानी एमसीडी/डीडीए के बागवानी विभाग/वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार) से संपर्क करने के बाद सुल्तानपुरी क्षेत्र में 03 फीट तक की ऊंचाई वाले नीम/जामुन के 20 पौधे लगाने का निर्देश दिया जाता है। रोपे गए पौधों की तस्वीरें तथा संबंधित जांच अधिकारी/थानाध्यक्ष की रिपोर्ट आठ सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा, पौधों/वृक्षों के रखरखाव का कार्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। वृक्षारोपण के निर्देशों का पालन न

करने की स्थिति में, याचीगण को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 20,000/- रुपये का जुर्माना जमा करना होगा।

तदनुसार याचिका का निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को सूचनार्थ भेजी जाए।

**न्या. श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता**

**अगस्त 08, 2024**/*आर*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*